दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 25.01.2024

आ.प्र.अ.(वाणि) 250/2023, सि.वि. सं. 62663/2023, 62664/2023 एवं 62666/2023

कामधेनु ड्रीमज़ व अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री सुदर्शन कुमार बंसल एवं श्री अर्पित डुडेजा, अधिवक्तागण

बनाम

मेसर्स दीना आयरन एंड स्टील लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अनंत भूषण एवं सुश्री वी. सिंह, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

<u>न्या. विभू बखरु,</u>

1. अपीलार्थीगण ने विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय में सि.वि.(वाणि) सं. 413/2023 शीर्षक ***ड्रीमज़ व अन्य बनाम मेसर्स दीना आयरन एंड स्टील लिमिटेड*** द्वारा पारित दिनांक 21.11.2023 के आदेश (संदर्भित ***'आक्षेपित आदेश'***) को आक्षेपित करते हुये वर्तमान अपील दायर की है। आक्षेपित के संदर्भ में आदेश,

अपीलार्थीगण की वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संदर्भित **सि.प्र.सं.**') के आदेश VII नियम 10 के तहत इस आधार पर वापस कर दिया गया था कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि आक्षेपित आदेश सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था जिसमें दिनांक 24.07.2023 के *एकपक्षीय* अंतरिम आदेश को हटाने की प्रार्थना की गई थी। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों की जांच करने पर पाया कि वाद हेतुक कारण उसके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ था।

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वादपत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। वह यह प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि क्या सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को वापस करने की आवश्यकता थी, एक आपत्ति पर यह निर्धारित किया जाना आवश्यक था; अर्थात्, वादपत्र में किए गए अभिकथनों को सही मानते हुए तथा प्रतिवादी के बचाव में सुझाए गए अभिवचनों की अवहेलना करना है।

4. आक्षेपित आदेश का एक सामान्य अध्ययन यह इंगित करता है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांत पर विचार किया था तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ ***एक्सफार सा व अन्य बनाम यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड व अन्य*** भी लिया था। हालाँकि, आक्षेपित आदेश का पूर्वांतिम पैराग्राफ यह इंगित करता है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय "तथ्यों की समग्रता एवं पक्षकारों के अभिवचनों" की जांच करने के बाद वादपत्र को वापस कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए प्रकथनों पर यह निर्धारित करने हेतु विचार करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या वादपत्र सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वापस करने के लिए उत्तरदायी था।

5. वादपत्र के पैराग्राफ सं. 31 एवं 32 का उल्लेख करना प्रासंगिक है। वही निम्नलिखित हैं:

“वाद हेतुक

31. वाद हेतुक ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ के कारण उत्पन्न हुआ है। वाद हेतुक सबसे पहले जून 2023 के तीसरे सप्ताह में सामने आया, जब वादी को नई दिल्ली क्षेत्र में अपने वितरण/डीलरों के नेटवर्क द्वारा पता चला कि प्रतिवादी आक्षेपित लेबल/ब्रोशर द्वारा आक्षेपित सामान/व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है तथा आक्षेपित पैकेजिंग एवं सामान बेच रहा है। वाद हेतुक तब और सामने आया जब वादी के वितरकों में से एक, जिसका पता 4363/58 पदम सिंह रोड, रेघरपुरा,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005 था, ने वादी को आक्षेपित लेबल/ब्रोशर और आक्षेपित पैकेजिंग दी तथा जब वादी के बाजारों में जांच करने से पता चला कि प्रतिवादी आक्षेपित लेबल/ब्रोशर तथा आक्षेपित पैकेजिंग का उपयोग गोल मार्केट, वसंत कुंज, बंगाली मार्केट, नारायणा, मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस आदि के विभिन्न बाजारों में बाजार नेटवर्क एवं व्यापार के लिए कर रहा है। वाद हेतुक कारण आगे तब और सामने आया जब वादी द्वारा जांच करने पर पता चला कि प्रतिवादी अपनी इंटरैक्टिव वेबसाइट https://vijaytmt.com/ और विभिन्न इंटरैक्टिव तृतीय-पक्ष वेबसाइटों जैसे कि www.indiamart.com और www.justdial.com के माध्यम से आक्षेपित पैकेजिंग के तहत अपने आक्षेपित सामान/व्यवसाय का विज्ञापन/प्रचार भी कर रहा है जो इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के पहुँच योग्य है। वाद हेतुक निरंतर चल रहा है तथा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि प्रतिवादी आक्षेपित लेबल/ब्रोशर और आक्षेपित पैकेजिंग का अतिक्रमण/उल्लंघन उपयोग बंद नहीं कर देता है।

अधिकारिता

32. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान वाद के विचारण और निर्णयनिर्णयन करने की क्षेत्रीय अधिकारिता है। इस माननीय न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत वर्तमान वाद पर विचार करने एवं विचारण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता है

क्योंकि प्रतिवादी आक्षेपित पैकेजिंग के तहत अपने आक्षेपित सामान/व्यवसाय का विज्ञापन और विपणन कर रहा है तथा स्वयं के माध्यम से ट्रेड इंक्वायरी आमंत्रित कर रहा है यह वेबसाइट https://vijaytmt.com/ जो पहुंच योग्य है और इस माननीय न्यायालय के अधिकारिता के भीतर पहुंच योग्य है। प्रतिवादी अपने आक्षेपित सामान/व्यवसाय का विज्ञापन और विपणन भी कर रहा है और इसके लिए इंटरैक्टिव ई-कॉमर्स पोर्टल www.indiamart.com और www.justdial.com के माध्यम से ट्रेड इंक्वायरी भी आमंत्रित कर रहा है, जो पहुंच योग्य हैं और इस माननीय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पहुंच योग्य हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने हेतु, प्रतिवादी आक्षेपित बातें साझा करता है कि उक्त ई-कॉमर्स पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त पूछताछ के बाद इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता के भीतर अपने संभावित ग्राहकों को लेबल/ब्रोशर वादी के वितरकों अर्थात् मुकुल एंटरप्राइजेज, जिनका पता 4363/58, पदम सिंह रोड, रेघरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 है, ने वादी को आक्षेपित लेबल/ब्रोशर एवं आक्षेपित पैकेजिंग दी, जो इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन इस माननीय न्यायालय के अधिकारिता के भीतर आक्षेपित लेबल/ब्रोशर के माध्यम से आक्षेपित वस्तुओं/व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं तथा इस माननीय न्यायालय के अधिकारिता के भीतर विभिन्न विक्रेताओं और वितरकों को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं, जिसमें वादी के वितरक और इस माननीय

न्यायालय के अधिकारिता में काम करने वाले विक्रेता शामिल हैं। प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय के अधिकारिता में आने वाले गोले मार्केट, वसंत कुंज, बंगाली बाजार, नारायणा, मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस आदि के विभिन्न बाजारों में बाजार नेटवर्क एवं व्यापार का अनुरोध करने और तलाश करने के लिए आक्षेपित लेबल/ब्रोशर का भी उपयोग कर रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आक्षेपित लेबल/ब्रोशर की प्रतियों का उपयोग, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार कर रहा है। प्रतिवादी के उल्लंघन और/या पारित करने के आक्षेपित कृत्य इस माननीय न्यायालय के अधिकारिता में किए जा रहे हैं। इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 के अर्थ के भीतर इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर वाद दायर करने के लिये वाद हेतुक पूरा या आंशिक कारण भी उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, वादी अपने उक्त सामान/व्यवसाय को भी चला रहा है और विभिन्न डीलरों, वितरकों और अपनी वेबसाइट www.kay2steel.com के माध्यम से ***केएवाई2 ज़ेनोक्स*** पैकेजिंग और ***केए वाई2 ज़ेनोक्स लेबल/ब्रोशर*** के तहत अपने उक्त सामान/व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है। इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता के भीतर है। इसलिये, इस न्यायालय के पास प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 62(2) के तहत वर्तमान वाद पर विचार करने की क्षेत्रीय अधिकारिता भी है।"

6. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने वादपत्र में इस आशय का एक विशिष्ट प्रकथन किया था उससे पूछताछ से पता चला था कि प्रतिवादी गोल मार्केट, वसंत कुंज, बंगाली मार्केट, नारायणा, मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस आदि के विभिन्न बाजारों में बाजार नेटवर्क और व्यापार को बढ़ावा देने आक्षेपित लेबल, ब्रोशर और आक्षेपित पैकेजिंग का उपयोग कर रहा था। यह भी माना गया कि प्रतिवादी इंटरैक्टिव वेबसाइटों के माध्यम से आक्षेपित पैकेजिंग के तहत आक्षेपित वस्तुओं एवं व्यवसाय का विज्ञापन/प्रचार कर रहा था।

7. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थीगण ने चला देने के वाद का दावा करते हुए वाद दायर किया था। यह माना जा सकता है कि प्रश्नगत चिह्न पंजीकृत व्यापार चिह्न नहीं हैं। निर्विवाद वाद से, यदि वाद के पैराग्राफ 31 एवं 32 में किए गए प्रकथनों को सही माना जाता है, तो विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के पास वाद पर विचार करने की अधिकारिता होगी।

8. ***मेसर्स एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड आर. के. डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड***, इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायपीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि वादपत्र को लौटाने हेतु सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत एक आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब वादपत्र में किए गए दावे इंगित करते हैं कि न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अपना व्यवसाय करने के संबंध में वादपत्र में किए गए प्रकथनों को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि प्रतिवादी ने वादपत्र को लौटाने के वाद सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ साथ सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि न्यायालय के पास वादपत्र पर विचार करने की अधिकारिता नहीं है और विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिये प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रकथनों की सही जांच की थी कि क्या उसके पास वाद पर विचार करने की क्षेत्रीय अधिकारिता है। उन्होंने ***न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनामडॉ. इलियास न्यू लाइफ होम्यो एंड हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड*** में अपनी दलीलों के समर्थन के लिये इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भी भरोसा किया।

10. उपरोक्त दलीलें अनुप्युक्त हैं क्योंकि उसी सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को लौटाने एवं सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 व 2 के

तहत अंतरिम राहत देने के सिद्धांतों को जोड़ती हैं। मेसर्स में ***एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आर.के. डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड***, इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में विचार सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 व 2 के तहत विचार करने वालों से पूरी तरह से अलग हैं। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 23 प्रासंगिक है तथा निम्नलिखित है:

> "23. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में विचार आदेश XXXIX नियम 1 व 2, सि.प्र.सं. के तहत आवेदन के संदर्भ में या क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में वाद में बनाए गए मुद्दे के संदर्भ में पूरी तरह से अलग हैं। जबकि आदेश VII नियम 10 की पृष्ठभूमि में, आदेश XXXIX नियम 1 व 2 के तहत अंतरिम राहत देने हेतु आवेदन के मामले में केवल वादपत्र में निहित प्रकथनों पर विचार किया जाना चाहिए, इस आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी की दलीलों के साथ-साथ लिखित कथन में निहित तर्कों की भी जांच की जानी चाहिए ताकि प्रथम दृष्टया विचार किया जा सके। इसलिए, जबकि सि.प्र.सं. आवेदन के आदेश VII नियम 10 के मामले में, अधिकारिता का मुद्दा वादपत्र में जो कहा गया है उसके आधार पर तय किया जाता है तथा वह भी, बयानों को सही मानने के बाद, आदेश XXXIX नियम 1 व 2 के तहत एक आवेदन, सि.प्र.सं. के लिए प्रतिवादीगण की दलीलों की जांच की आवश्यकता होती है जो

लिखित कथन में निहित हो सकती हैं और/या आवेदन के जवाब के साथ-साथ अन्य सामग्री भी जो प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी जा सकती है। यहाँ, वादी की दलीलों पर आपत्ति के माध्यम से विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा, जब वाद के विचारण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाना है तो उसके मानक अधिक होंगे। इस प्रकार, जबकि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत एक जांच के प्रयोजनों के लिए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि उसके पास क्षेत्रीय अधिकारिता है यह क्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे में सवाल उठाने में प्रतिवादी के बीच में नहीं आएगा, दोनों जब सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 व 2, के तहत अस्थायी व्यादेश के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है तथा जब वाद के विचारण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारिता के एक मुद्दे का निर्णय किया जा रहा है। इसे अलग तरह से रखने हेतु, जबकि एक वादी सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के उद्देश्यों हेतु यह प्रदर्शित करने में सफल हो सकता है कि इस न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता है तथा वादपत्र को नहीं लौटाया जाना चाहिए, वह इस आधार पर अंतरिम व्यादेश का आदेश प्राप्त करने में विफल हो सकता है कि वादी की पात्रता स्वयं अस्थिर है क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारिता का मुद्दा अत्यधिक विवादास्पद है और प्रथमदृष्टया मान्य नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी की आपत्ति कम करने एवं सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10, के तहत वादपत्र को वापस करने हेतु प्रतिवादी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का न्यायालय

का निर्णय, अंतरिम व्यादेश देने पर आपत्ति के रूप में एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे के निर्णय के समय, यदि तय किया गया हो, वाद की सुनवाई के समय भी प्रतिवादी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारिता का सवाल उठाने के बीच में नहीं आएगा।

[जोर दिया गया] "

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेडडॉ. इलियास न्यू लाइफ होम्यो और हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड*** में अवलंब लेने में त्रुटि भी हुई है। उक्त निर्णय के एक सामान्य पठन से यह संकेत मिलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया था कि वादपत्र में किए गए प्रकथनों को देखते हुए, जो उस मामले में विचारणीय थे, सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत सीमा चरण में वादपत्र को वापस करना संभव नहीं होगा। ऐसा इस लिये था क्योंकि दलीलों को सही माना गया था तथा वाद चलाने योग्य था। इसके बावजूद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायालय के अधिकारिता में प्रत्यर्थी की आपत्तियों की प्रथमदृष्टया जांच करके अंतरिम राहत देने के प्रश्न पर विचार किया। यह ध्यान देना आवश्यक है कि न्यायालय ने अंतरिम राहत हेतु अनुरोध को खारिज कर दिया, लेकिन उसने क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव में वादपत्र को वापस नहीं किया।

12. वर्तमान मामले में, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को वापस कर दिया था। वादपत्र में किए गए स्पष्ट प्रकथनों को देखते हुए उक्त निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है।

13. तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उसी स्थिति में बहाल किया जाता है जो आक्षेपित आदेश की तिथि को प्राप्त हुई थी।

14. पक्षकारगण आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 07.02.2024 को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

15. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

विभू बखरु, न्या.

तारा वितस्ता गंजू, न्या.

25 जनवरी, 2024
'जीएसआर'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*